राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 13436/2023

सरिता चौहान (सैनी) पत्नी श्री देवकीनंदन, आयु लगभग 33 वर्ष, संरक्षक मूलचंद्र पापटन, वार्ड संख्या 47, चुरू (राज) की निवासी।---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य, सरकार के माध्यम से, राजस्थान का सचिवालय, जयपुर।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर (राजस्थान)।

3.जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चुरू।

4. देवकीनंदन पुत्र श्री नेमीचंद, जाति सैनी द्वारा, वार्ड संख्या 60 के निवासी, आई. टी. आई. कॉलेज के पास, चुरू वर्तमान में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत है। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दुलरसर, तहसील सरदारशहर, जिला चुरू।

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री डी. डी. चितलंगी।

उत्तरदाताओं के लिएः-----

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

25/01/2024

1. याचिकाकर्ता इसमें एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की मांग करता है जो प्रत्यर्थियों को उसके पति-प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए आगे की कार्रवाई करने का आदेश देता है।

2. पहले मामले के प्रासंगिक तथ्य। याचिकाकर्ता की शादी 28 नवंबर, 2012 को निजी प्रतिवादी संख्या 4 के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार, कथित तौर पर उसके पिता द्वारा दिए गए दहेज के साथ संपन्न हुई थी। हालांकि, शादी के बाद, प्रतिवादी और उसके परिवार ने और दहेज की मांग की। प्रतिवादी, जो वर्तमान में शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है, ने अपनी नियुक्ति के दौरान एक झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि उसे कोई दहेज नहीं मिला है, जिसे राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 25-ए के तहत एक आपराधिक कार्य माना जाता है। याचिकाकर्ता ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिससे आईपीसी की धारा 498-ए, 406,323,509 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने दहेज की वस्तुओं को बरामद किया और प्रतिवादी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, और मुकदमा चल रहा है। निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 498-ए, 406 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी ने धारा 125 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत रखरखाव आवेदन के लिए दायर एक हलफनामे में अपनी आय के बारे में गलत जानकारी प्रदान की। याचिकाकर्ता के प्रयासों के बावजूद, जिसमें अभ्यावेदन प्रस्तुत करना और अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजना शामिल है, आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के पति की सेवाओं को समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, यह रिट याचिका दायर की गई है।

3. उपरोक्त तथ्यों का केवल अवलोकन यह दर्शाता है कि

याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच वैवाहिक कलह के कारण कुछ सिविल के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाहियां भी पहले से ही चल रही हैं।

4. आधार में, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना, यह कहना पर्याप्त है कि असाधारण रिट क्षेत्राधिकार वैवाहिक कटुता से उत्पन्न व्यक्तिगत मामलों को निपटाने का उपाय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने पति के खिलाफ शत्रुता को देखते हुए, आरोप लगाने में एक मजबूत पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

5. राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियम 25-ए पर याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई निर्भरता न केवल पूर्व-परिपक्व है, बल्कि इस स्तर पर पूरी तरह से अप्रमाणित भी है, क्योंकि दहेज के आरोपों में से कोई भी आरोप सक्षम अदालत द्वारा साबित नहीं किया गया है।

6. एक परिणाम के रूप में, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

7. बर्खास्त कर दिया।

8. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।